सत्यमेव जयते

Office of the
Commissioner of Income-tax-I
2nd Floor, Aaykar Bhawan,
Sanjay Place, Agra-282002
कार्यालय आयकर आयुक्त-१,
दूसरा तल, आयकर भवन,
संजय प्लेस, आगरा - 282002

फा०सं०:आ०आ०-I/तक०/58-59(M-86)/80G/आगरा/2004-05/ 3769 *दिनांक:23.3.2005*

सेवा में,

मानव स्वास्थ्य सेवा संस्थान,
लक्ष्मी नगर, लोहवन,
मथुरा।

महोदय,

विषयः- **आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के अधीन मान्यता के सम्बन्ध में सूचना।**

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र दिनांक 24-12-2004, जो कि इस कार्यालय में दिनांक 27-12-2004 को प्राप्त हुआ है, के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि दानकर्ता द्वारा **मानव स्वास्थ्य सेवा संस्थान, लक्ष्मी नगर, लोहवन, मथुरा** को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के अन्तर्गत निम्न शर्तों एवं सीमाओं के अधीन आयकर से छूट योग्य होंगेः -

1. यह छूट प्रमाण पत्र निर्धारण वर्ष 2005-2006 से निर्धारण वर्ष 2007-2008 तक के लिए वैध है।
2. दानकर्ता को दी गयी प्रत्येक रसीद पर इस आदेश की संख्या और दिनांक अंकित होनी चाहिए।
3. इस छूट प्रमाण-पत्र के बावजूद आपको धारा 11(2) के अधीन छूट तभी मिलेगी जब गुण-अवगुण के आधार पर छानबीन कर ली जायेगी।
4. न्यास (ट्रस्ट) के विधान में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आयकर आयुक्त-प्रथम, आगरा और आवेदन के ऊपर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर अधिकारी को तुरन्त देनी होगी।
5. प्राप्तियाँ एवं व्यय का लेखा-विवरण आवेदक के ऊपर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर अधिकारी को नियमित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(टी0 सी0 पन्त)
आयकर आयुक्त-प्रथम, आगरा

समसंख्यक एवं दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर आयकर आयुक्त, रेंज-3, मथुरा।
2- आयकर अधिकारी 3(2), मथुरा।

रसिक राज गोस्वामी
SECRETARY
Manav Swasthya Seva Sansthan
Laxmi Nagar (Lohban)

(एन०एस०परिहार)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त-प्रथम, आगरा